

डिक्री मुकदमा इक्टदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस
उनवान

कुसुमलता पत्नि लक्खीराम नि० गाजीपुर तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी
(वादीया)

बनाम

1. खिलाडीराम } पुत्र देवनारायण जाति मीना निवासी गाजीपुर तहसील टोडाभीम
2. रामभरोसी }
3. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी तहसील टोडाभीम
4. तहसीलदार साहब तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मु०न०:- 58/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व ग्राम चक गाजीपुर की आराजीयात मे निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि:-

क्र०स०	नाम खातेदार काश्तकार	ख०न०	रकवा
1	कुसुमलता पत्नि लक्खीराम जाति मीना सा.देह खातेदार	180/1	0.12 है०
2	खिलाडीराम, रामभरोसी पि० देवनारायण, पानबाई पत्नि देवनारायण जाति मीना हि.ब. सा.देह गाजीपुर	180/2	0.01 है०
		181	0.11 है०
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.12 है०

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे।

वसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.08.2024 को जारी की गई।

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अजी दाया			स्टाम्प अजी दाया		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अजी		
स्टाम्प यजह सबूत			महनताना यकील		
महनताना यकील			खर्चा गयाहान		